292

न्यायालय श्रीमान ~~अध्यक्ष~~ सत्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर, लिंक सागर म.प्र. 4386-I-16

1. श्रीमति हरवंश कौर पत्नि स्व. श्री मनोहर सिंह उम्र 67 वर्ष
2. तेजेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व श्री मनोहर सिंह उम्र 34 वर्ष
3. जीतेन्दर पाल सिंह पुत्र स्व श्री मनोहर सिंह उम्र 32 वर्ष

निवीगण – देरी रोड़ पेप्टिक सिटी छतरपुर तह व जिला छतरपुर म.प्र.

आवेदक/ पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. बाबूलाल तनय श्री महादेव प्रसाद शर्मा
2. वीरेन्द्र कुमर तनय बाबूलाल रिछारिया

उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम गौरगायं तह व जिला छतरपुर म.प्र.

3. म.प्र.शासन

अनावेदकगण

पुनरीक्षण/आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त प्रकरण माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 40/अ6अ/2014–15 आदेश दिनांक 19.12.2016 से दुखित होकर

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1. यह कि भूमि खसरा नम्बर 442 रकवा 0.187 हे. स्थित मौजा गोरगायं तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. आवेदकगण के पति व पिता श्री मनोहर सिंह के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि हैं आवेदकगण के पति व पिता श्री मनोहर सिंह की मृत्यु दिनांक 03.07.2013 को हो चुकी है। मनोहर सिह की मृत्यु के उपरांत आवेदकगण मनोहर सिंह के वेद्य एवं निकटतम उत्तराधिकारी है। इस प्रकार आवेदकगण उक्त विवाहित भूमि के स्वत्व एवं अधिपत्यधारी है।

2. यह कि अनावेदकगण ने एक व्यवहार वाद कमांक 24ए/04 जो पूरी तरह से फर्जी एवं झूठे तथ्यों के आधार पर था माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग एक छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसकी कोई जानकारी अनावेदकगण के पति व पिता श्री मनोहर सिंह को नहीं हो सकी थी। इस कारण उक्त व्यवहार वाद में श्री मनोहर सिह की अनुपस्थित के कारण दिनांक 24.03.2007 को एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई थी। एवं इस निर्णय एवं डिक्री के आधार पर अनावेदकगण ने अपना नाम दर्ज करा लिया था। साथ ही उक्त इन्द्राज अनावेदकगणों द्वारा राजस्व

xix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4386-एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अधि आदि के हस्ता.
31.1.17	यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 40 अ-6-अ/ 2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 19-12-16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 40 अ-6-अ 2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 19-12-16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार व्दारा मौजा गौरगॉय की भूमि खसरा नंबर 442 रकबा 0.187 हैक्टर के अभिलेख में सुधार करने का आवेदन संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत निरस्त किया है क्योंकि वाद अंकित भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद भी प्रचलित है। तहसीलदार व्दारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्व आवेदकगण के पास अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। 4/ राजस्व मण्डल में प्रस्तुत यह निगरानी सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	